इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 2 | सितंबर, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

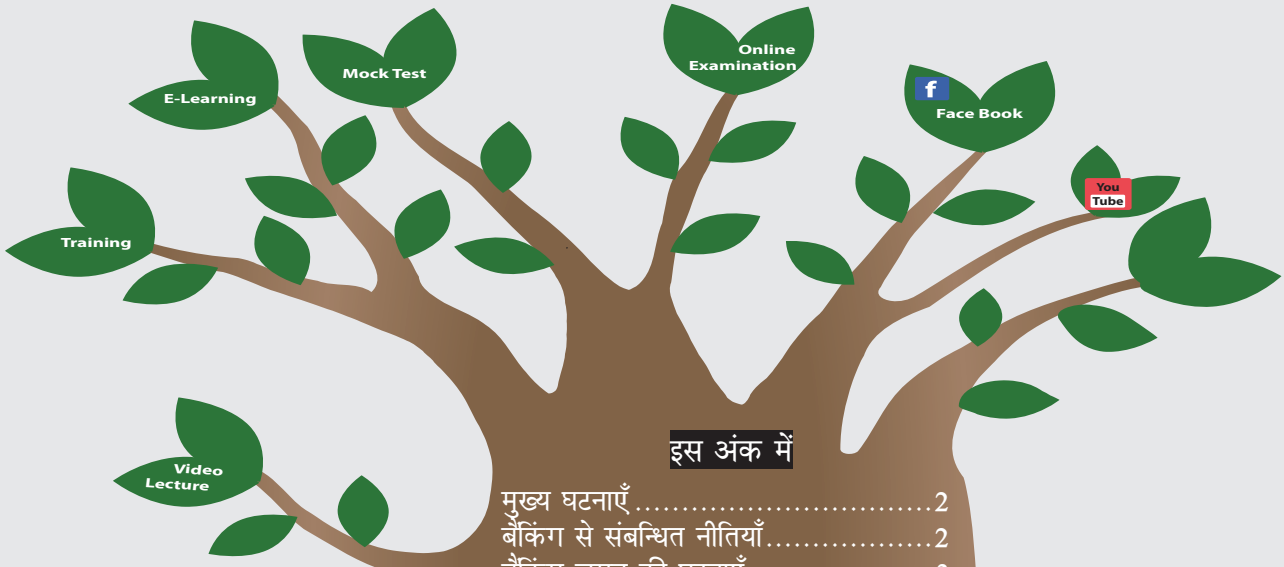

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
पूंजी बाजार.....3
बीमा.....3
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....4
नयी नियुक्ति.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....6
बाजार की खबरें.....7
नयी पहलकदमी.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2025 को हुई बैठक की मुख्य बातें:

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4-6 अगस्त 2025 को आयोजित की गई जिसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- रेपों दर 5.50% पर अपरिवर्तित रखी गई है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत स्थायी जमाराशि सुविधा दर बगैर बदलाव के 5.25% जारी रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 5.75% बनी रहेगी।

विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर बयान की मुख्य बातें:

- उत्तरजीवियों/नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए दावों के त्वरित एवं आसानी से निपटान के लिए, प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के मानकीकरण का निर्णय लिया गया है।
- निवेशक अपने निवेश की व्यवस्थित योजना बना सकें, इस हेतु खुदरा प्रत्यक्ष योजना में ट्रेजरी बिलों के लिए एक स्वत: बोली लगाने की सुविधा शुरू की गई है जिसमें निवेश तथा पुनर्निवेश दोनों हेतु विकल्पों को शामिल किया गया है। यह नवीन व्यवस्था निवेशकों को ट्रेजरी बिलों की प्राथमिक नीलामी में बोलियों को स्वत: लगाने का अधिदेश देने में सहायक है।

कृत्रिम मेधा के उत्तरदायित्वपूर्ण तथा नैतिक कार्यान्वयन हेतु ढांचे (FREE-AI) पर समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति ने कृत्रिम मेधा के उत्तरदायित्वपूर्ण तथा नैतिक कार्यान्वयन हेतु ढांचे (FREE-AI) पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में जुड़े जोखिमों से बचते हुए कृत्रिम मेधा की संभावनाओं का लाभ उठाना है। वित्तीय समावेशन को बेहतर करने जैसे कृत्रिम मेधा के अनेक लाभों के बावजूद रिपोर्ट में कई चुनौतियों की भी चर्चा की गई है। ये चुनौतियाँ हैं – अन्य पक्ष जोखिम, परिचालन जोखिम, कृत्रिम मेधा चालित मिलीभगत आदि। कृत्रिम मेधा का असर वित्तीय स्थायित्व तथा साइबर सुरक्षा पर हो सकता है। समिति ने 7 सूत्र बनाए हैं जो वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम मेधा को निर्देशित करने के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ये सूत्र हैं: (i) विश्वास ही बुनियाद है (ii) लोगों का हित सर्वोपरि (iii) नवोन्मेष को बाधाओं से ऊपर रखना (iv) निष्पक्षता और बराबरी (v) जवाबदेही (vi) डिजाइन से इसका समझ योग्य होना (vii) सुरक्षा, आघात सह्यता तथा संधारणीयता। सूत्रों को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर एक ऐसे दृष्टिकोण की सिफ़ारिश की गई है जो नवोन्मेष को बढ़ावा दे तथा जोखिमों को कम करे। इसे 6 सामरिक स्तंभों जो नवोन्मेष लाने तथा जोखिम न्यूनीकरण के आयामों पर ध्यान देने वाले हों, में मौजूद एकीकृत विजन के जरिए हासिल किया जाएगा।

चेकों के निरंतर समाशोधन की नयी प्रणाली दो चरणों में लागू होगी: भारतीय रिज़र्व बैंक

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) को बैच प्रासेसिंग से बदल कर निरंतर समाशोधन की प्रणाली में कर दिया जाएगा जिसमें समाधान उगाही पर हुआ करेगा। यह कार्य दो चरणों में होगा; प्रथम चरण 4 अक्तूबर 2025 से तथा द्वितीय चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। चेक प्रस्तुत करने का एकल सत्र प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक का होगा। शाखाओं द्वारा प्राप्त किए गए चेकों को बैंकों द्वारा स्कैन कर प्रस्तुतीकरण सत्र के दौरान 'तुरंत व लगातार' प्रेषित किया जाता रहेगा। समाशोधन गृह चेक छवियाँ अदाकर्ता बैंक को निरंतर आधार पर प्रेषित करेंगे। पुष्टीकरण सत्र प्रात: 10 बजे आरंभ होगा और सायं 7 बजे बंद हो जाएगा। अदाकर्ता बैंक सभी प्रस्तुत चेकों के लिए सकारात्मक पुष्टि (सकारे गए चेकों हेतु) अथवा नकारात्मक पुष्टि (नकारे गए चेकों हेतु) जारी करेंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

विवेकपूर्ण तथा संचालन संबंधी पहलुओं के समाधान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सह-उधार व्यवस्था निदेशों में संशोधन

सह-उधार व्यवस्था निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण तथा संचालन संबंधी कुछ पहलुओं के समाधान के साथ-साथ ऐसी व्यवस्थाओं की अनुमेयता पर विनियामक स्पष्टता देने के लिए संशोधित किया गया है। संशोधित मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक विनियमित संस्था, सह-उधार व्यवस्था के तहत, व्यैक्तिक ऋणों का न्यूनतम 10% हिस्सा अपनी बहियों में बनाए रखेगी। शुरुआतकर्ता विनियमित संस्था, सह-उधार व्यवस्था के तहत ऋणों के लिए बकाया ऋणों के 5% तक की चूक हानि गारंटी दे सकती है। विनियमित संस्थाओं के मध्य सह-उधार करार भंग होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋणियों को उनके द्वारा ऋण चुकाने तक अबाधित सेवा मिलती रहे, विनियमित संस्था के पास एक कारोबार निरंतरता योजना होगी। विनियमित संस्था की ऋण नीति में सह उधार व्यवस्थाओं से संबंधित प्रावधानों जैसे कि सह-उधार करारों के तहत उनके द्वारा दिए गए कर्ज के पोर्टफोलियो के अनुपात हेतु आंतरिक सीमा, लक्षित ऋणी समूह, भागीदार संस्थाओं हेतु समुचित सावधानी, ग्राहक सेवा और शिकायत समाधान प्रणाली का समावेश होगा। अंतर्नि-

हित ऋणों पर ब्याज दर तथा अन्य शुल्क/प्रभार विनियमित संस्थाओं पर लागू विनियामक मानदंडों के अधीन, संविदात्मक करार पर आधारित होंगे। विनियमित संस्थाओं के बीच तथा कर्जदारों के साथ सभी लेनदेन एक बैंक में रखे एस्क्रो खाते के जरिए किए जाएंगे।

गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों से अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा

गैर-निधि आधारित (NFB) सुविधाओं पर लागू दिशानिर्देशों को समन्वित और समेकित करने तथा अवसंरचना वित्तपोषण हेतु निधियन के स्रोतों का विस्तार करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा निदेश, 2025 जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार, एक विनियमित संस्था गैर-निधि आधारित सुविधा केवल उस ग्राहक की ओर से जारी करेगी जिसके पास इस विनियमित संस्था से निधिकृत ऋण सुविधा हो। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं जिनमें मध्यम लेयर तथा इससे ऊपर की आवास वित्त कंपनियाँ शामिल हैं, को सभी प्रकार की परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु कॉर्पोरेट/विशेष उद्देश्य संस्थाओं (SPVs) द्वारा जारी बॉन्ड को आंशिक ऋण वृद्धि (PCE) प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यही व्यवस्था 1000 करोड़ रुपए और इससे अधिक की आस्ति आकार वाली, जमाराशि न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ पंजीकृत हों, द्वारा जारी बॉन्ड के लिए भी लागू है। वित्तीय संस्थाएं नगरपालिका बॉन्ड को भी ऋण वृद्धि समर्थन प्रदान कर सकती हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

विशेष रुपया वोस्त्रो खाते (SRVA) खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरलीकृत प्रक्रिया से रुपए में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिकृत डीलर (AD) बैंकों के लिए यह आवश्यकता खत्म कर दी है कि ओवरसीज करेस्पोंडेंट बैंकों के विशेष रुपया वोस्त्रो खाते (SRVA) खोलने हेतु इसकी पूर्व अनुमति ली जाए। इस कदम से विशेष रुपया वोस्त्रो खाते खोलने में तेजी आएगी तथा रुपया आधारित व्यापार सेटलमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानें (द्वितीय संशोधन) निदेश, 2025 की अधिसूचना जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवाईसी मास्टर निदेशों को यह निर्दिष्ट करते हुए संशोधित किया है कि ग्राहक स्वीकार्यता नीति को दिव्यांग जनों (PwDs) को बैंकिंग/वित्तीय सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए तथा ऑनबोर्डिंग या आवधिक अद्यतन हेतु किसी आवेदन की अस्वीकृति, संबन्धित अधिकारी द्वारा कारणों के साथ दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान के समय, लाइसेन्स की जांच का परिणाम विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को वंचित रखना नहीं होना चाहिए।

पूंजी बाजार

सेबी द्वारा चलनिधि म्यूचुअल फंड, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड को निवेश सलाहकारों, अनुसंधान विश्लेषकों हेतु विनियामक जमाराशियों के रूप में अनुमति

निवेश सलाहकारों (Investment Advisors) तथा अनुसंधान विश्लेषकों (Research Analysts) को एक निश्चित राशि ग्रहणाधिकार अंकित जमाराशि बनाए रखनी होती है। यह जमाराशि क्रमश: इनवेस्टमेंट एड्वाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (IAASB) अथवा रिसर्च अनलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (RAASB) के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाती है। सेबी ने इस ढांचे को संशोधित कर निवेश सलाहकारों तथा अनुसंधान विश्लेषकों को बैंक जमाराशि के विकल्प के रूप में चलनिधि म्यूचुअल फंड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड का उपयोग कर विनियामक जमाराशि आवश्यकता पूरी करने की अनुमति दे दी है। निवेश सलाहकारों तथा अनुसंधान विश्लेषकों को जमाराशि मानदंडों का पालन 30 सितंबर 2025 को या इससे पहले करना है।

सेबी ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए संव्यवहार शुल्क हटा दिया है

म्यूचुअल फंड पर जून 2024 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, 10,000 रुपए से अधिक के अभिदान पर आस्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा म्यूचुअल फंड वितरकों को संव्यवहार शुल्क के रूप में 100 रुपए का भुगतान करने की अनुमति थी। वितरकों को प्रोत्साहन स्वरूप नए निवेशकों हेतु यह राशि 150 रुपए थी। शुल्क की कटौती अभिदान की राशि से कर शेष राशि निवेश हेतु प्रेषित की जाती है। सेबी ने अब नियमित योजनाओं हेतु संव्यवहार शुल्क को हटा दिया है।

बीमा

आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को गुणात्मक प्रभाव अध्ययन (QIS 2) 15 अक्तूबर तक पूरा कर लेने को कहा है

2023 में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने प्रथम गुणात्मक अध्ययन (QIS 1) आयोजित किया

था जिसका उद्देश्य जोखिम आधारित पूंजी (Risk Based Capital) ढांचे के आरंभिक प्रभाव का आकलन करना था। अब आईआरडीएआई ने सभी जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं तथा लायड्स इंडिया को द्वितीय गुणात्मक प्रभाव अध्ययन (QIS 2) शुरू कर इसकी रिपोर्ट 15 अक्तूबर 2025 को या इसके पूर्व प्रस्तुत करने को कहा है। द्वितीय गुणात्मक प्रभाव अध्ययन तकनीकी मार्गदर्शी दस्तावेज़ के आधार पर शुरू किया जाएगा जिसमें बीमांकिक मूल्यांकन हेतु यथा 31 मार्च, 2025 का डेटा प्रयुक्त होगा।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता में सुधार लाने हेतु प्रतिबद्ध है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि विनियम, वित्तीय स्थायित्व तथा जमाकर्ताओं की सुरक्षा हेतु आवश्यक बल प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि आगे चल कर हमारा ध्यान तीन बातों पर केंद्रित होगा। प्रथमत:, हम वित्तीय स्थायित्व को सुदृढ़ करना जारी रखेंगे; दूसरा, हम कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। तीसरा, हम उत्पादक क्षेत्रों को बैंक ऋणों में वृद्धि करेंगे तथा मध्यस्थता लागत को कम करेंगे।

विशेषकर बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हासिल करने में व्यवसाय प्रतिनिधियों की भूमिका पर बल देते हुए गवर्नर महोदय ने गुणवत्ता, निरंतरता तथा वित्तीय सेवाओं की पहुँच में सुधार हेतु इस माध्यम को मजबूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। किसी भी व्यवसाय के टिके रहने के लिए ग्राहक केंद्रीयता का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि विनियामक संस्थाओं को पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा जवाबदेही को अपनाते हुए उत्कृष्ट, निर्बाध सेवा तथा इनका अनुभव देने-दिलाने पर लगातार ध्यान देते रहना चाहिए।

नवोन्मेष तथा विनियमन के बीच संतुलन कायम करना अनिवार्य: श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड (IIMK) में वित्तीय बाजार विनियमों पर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा प्रबंधन विकास कार्यक्रम (DoPT MDP) के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने कहा कि सोचे-समझे विनियमों को लेकर सुनिर्मित वित्तीय निगरानी ढांचा न केवल बराबरी का मौका प्रदान करता है बल्कि संधारणीय वृद्धि एवं विकास को भी बढ़ावा देता है। वित्तीय प्रणाली हेतु विनियामक निगरानी ढांचे को मोटे तौर पर तीन मुख्य मॉडलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मॉडल 'क्षेत्र आधारित या पारंपरिक' मॉडल है जिसमें प्रत्येक वित्तीय प्राधिकरण खास वित्तीय क्षेत्र-अर्थात बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों तथा बाजार की इंटिग्रिटी के विवेकपूर्ण तथा संचालन, दोनों पहलुओं के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीय/वैकल्पिक दृष्टिकोण 'इंटीग्रेटेड मॉडल' है जिसमें एक ही एजेंसी निगरानी के सभी पहलुओं जिसमें सम्पूर्ण वित्त उद्योग में लागू विनियम शामिल हैं, की देख रेख करती है। तीसरे मॉडल अर्थात आंशिक समन्वित दृष्टिकोण में दायित्वों का विनियामक एवं पर्यवेक्षी लक्ष्यों के अनुरूप अथवा क्षेत्रों के अनुरूप समूहन शामिल है। आज के गतिशील वित्तीय परिदृश्य में, इन सभी दृष्टिकोणों को लेकर सही संतुलन बनाना जरूरी है ताकि एक सहायक एवं प्रभावी विनियामक वातावरण निर्मित हो और इसके साथ नवोन्मेष को प्रोत्साहन मिले।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, जुलाई 2025 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- एस एंड पी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दी है।
- जुलाई 2025 में भारत के कुल निर्यातों में वर्षानुवर्ष 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि कुल आयातों में वर्षानुवर्ष वृद्धि 6.1% रही।
- बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त निधि के चलते, नीतिगत रेपो दर में कटौती का लाभ ऋण बाज़ारों तक पहुँच रहा है।
- यूपीआई संव्यवहारों की मात्रा में वर्षानुवर्ष 35% की वृद्धि हुई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत कर्ज दर (WALR) घट कर जून 2025 में 8.62% रही।
- यथा 25 जुलाई 2025, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में वर्षानुवर्ष वृद्धि 10% थी जबकि एक वर्ष पहले यह 13.7% दर्ज की गई थी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि एक वर्ष पूर्व के 10.6% से सिमट कर वर्षानुवर्ष 10.3% रह गई।
- अप्रैल-जून 2025 की अवधि में गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा 0.78 लाख करोड़ रुपए के वाणिज्यिक पत्र जारी किए गए जबकि एक वर्ष पूर्व यह राशि 0.30 लाख करोड़ रुपए थी।

नयी नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री राजीव आनंद	प्रबंध निदेशक और सीईओ, इंडसइंड बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार			विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ
मद	यथा 29 अगस्त, 2025		
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर	
	1	2	
1 कुल भंडार	6125356	694230	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5152367	583937	
1.2 स्वर्ण	765603	86769	
1.3 एसडीआर	165665	18775	
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	41721	4749	

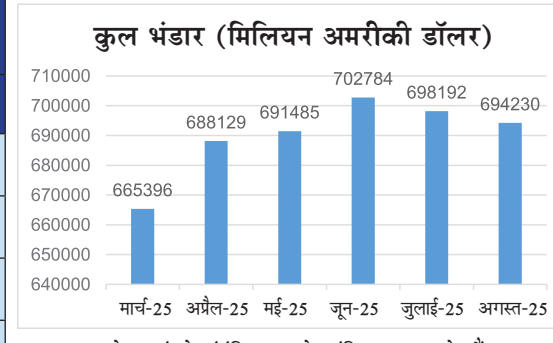

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

29 अगस्त, 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, सितंबर 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.36
SONIA (जीबीपी)	3.9675
STR (यूरो)	1.925
TONA (जापानी येन)	0.478
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.7600
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.60
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.039374

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	3.00
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.892
SORA (सिंगापुर डॉलर)	0.9504
HONIA (हांगकांग डॉलर)	3.06247
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5440

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

गैर-निधि आधारित सुविधाएं

गैर-निधि आधारित सुविधाएं वे वित्तीय सुविधाएं हैं जिनमें एक बैंक या कर्जदाता, ऋणी की ओर से एक अन्य पक्ष को गारंटी अथवा आश्वासन (assurance) प्रदान करता है। बैंक गारंटी, साख या हामीदारी पत्र तथा ऋण गारंटी, इन सुविधाओं के उदाहरण हैं। इन सुविधाओं में बैंक से निधियों का तुरंत बहिर्वाह नहीं होता लेकिन ऋणी द्वारा अपने दायित्वों को पूरा न करने पर भविष्य में वित्तीय देयता की संभावना बनती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

चक्रीय ऋण सुविधा

चक्रीय ऋण सुविधा में व्यवसायों को निधियों तक लचीली पहुँच दी जाती है जिसमें उन्हें एक तयशुदा अवधि में आहरण करने, चुकाने तथा पुन: आहरण करने की अनुमति होती है। चक्रीय ऋणों में ऋण की निरंतर उपलब्धता होती है जिससे व्यवसाय, नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

सितंबर 2025 माह में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
अपने ग्राहक को जानें (KYC), धनशोधन निवारण (AML) तथा वित्तीय आतंकवाद का सामना करने (CFT) पर कार्यक्रम	09-11 सितंबर, 2025	वर्चुअल
बैंकों, एनबीएफसी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं हेतु साइबर जोखिम प्रबंधन एवं आईटी सुरक्षा पर कार्यक्रम	11-12 सितंबर, 2025	
डिजिटल बैंकिंग CX – विपणन हेतु जयी रणनीतियों तथा ग्राहक जुड़ाव पर कार्यक्रम	16-17 सितंबर, 2025	
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं हेतु व्यवसाय नैतिकता तथा कॉरपोरेट अभिशासन पर कार्यक्रम	17-18 सितंबर, 2025	
विदेशी मुद्रा परिचालनों पर कार्यक्रम	18-20 सितंबर, 2025	
सहकारी बैंको के समक्ष चुनौतियों तथा आगे की राह पर कार्यशाला	22 सितंबर, 2025	
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	22-24 सितंबर, 2025	हाइब्रिड
ऋण निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	23-25 सितंबर, 2025	वर्चुअल
सीएआईआईबी संपर्क कक्षाओं का संचालन	27 सितंबर-22 नवंबर, 2025	

संस्थान समाचार

एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के 13वें बैच का दीक्षांत समारोह

एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के 13वें बैच (2024-25), जिसमें कुल 91 प्रतिभागी थे, का दीक्षांत समारोह लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, मुंबई में 23 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए श्री अतुल कुमार गोयल, मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ; श्री रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया;

प्रोफेसर अभिषेक गोयल, संकाय, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कलकत्ता और श्री बिस्व केतन दास, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईआईबीएफ उपस्थित थे।

98वीं वार्षिक आम बैठक

आईआईबीएफ के सदस्यों की 98वीं वार्षिक आम बैठक दो तरफा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 18 सितंबर 2025 को पूर्वान्ह 11.30 बजे आयोजित की जाएगी।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र के विभिन्न वर्टिकल में सभी प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत डाइजेस्ट है। अमेजान पर यह पुस्तक पेपरबैक तथा किंडल दोनों संस्करण में उपलब्ध है। यह प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा विक्रेताओं से भी खरीदी जा सकती है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय

बैंक क्वेस्ट के जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के आगामी अंक हेतु निर्धारित विषय 'स्ट्रेटेजिक एचआरएम इनिशिएटिव्स फॉर बैंक्स' है और इसके उप विषय - प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार आयोजना, कर्मचारी जुड़ाव की रणनीतियाँ, विविधता व समावेशन प्रबंधन, एचआर लेखापरीक्षा हैं।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है ताकि यह पता चल सके कि क्या अभ्यर्थी नए बदलावों की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि एवं परीक्षा की वास्तविक तिथि के बीच घटनाओं/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

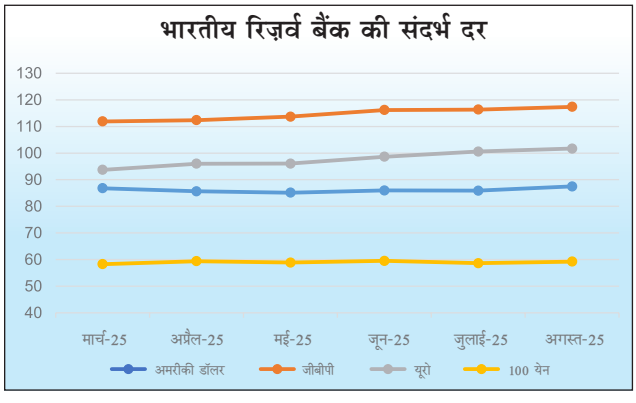

स्रोत: एफबीआईएल

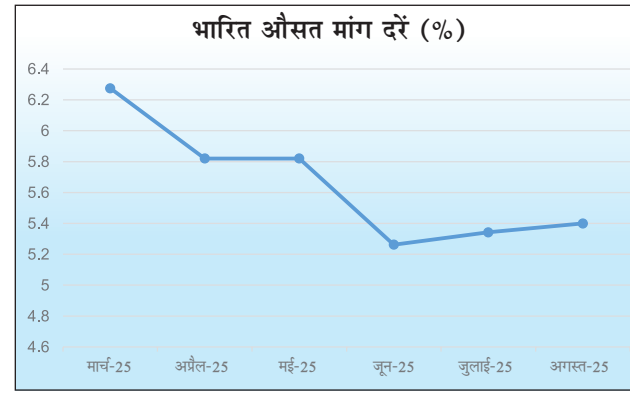

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

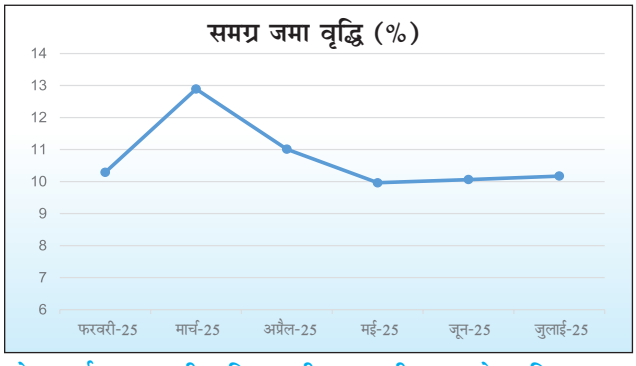

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त 2025

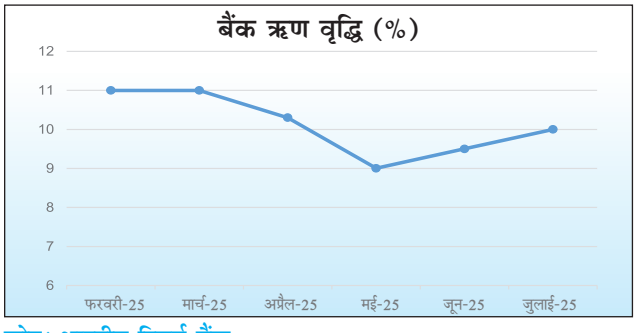

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

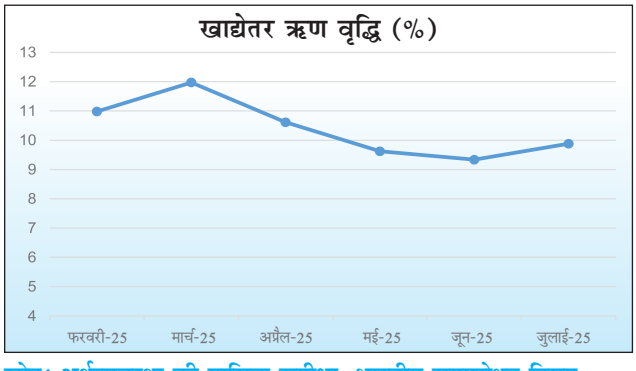

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अगस्त 2025

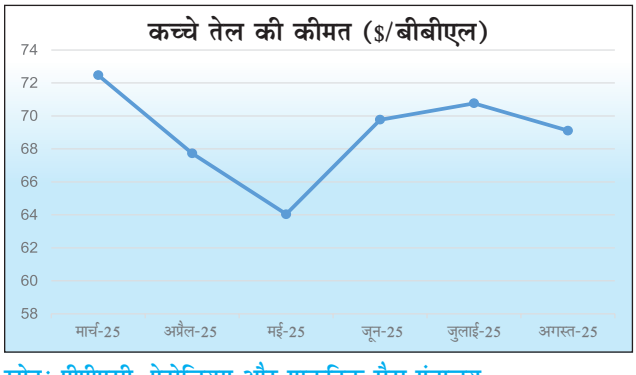

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

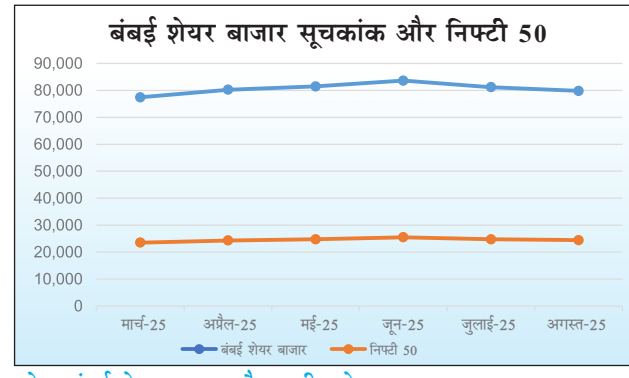

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

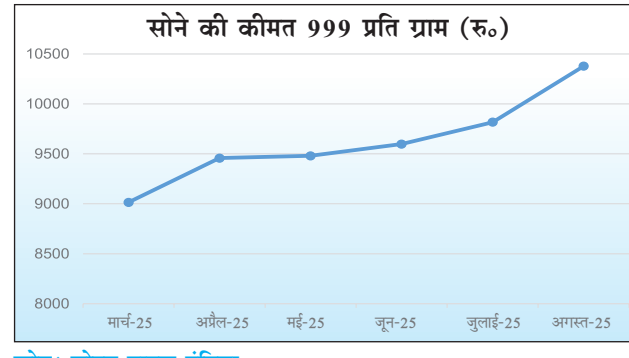

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in